



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1937 (श0)
(सं0 पटना 521) पटना, मंगलवार, 28 अप्रील 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
21 अप्रील 2015

एस०ओ० 66, दिनांक 28 अप्रील 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची III के भाग-I में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते हैं :-

संशोधन

उक्त अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची III के भाग-I का क्रमांक 147 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“147. प्लाईवुड, ब्लॉकबोर्ड एवं फ्लशडोर सहित उसके निर्माण में आनेवाले लॉग, प्लैंक, विनियर, बीम एवं सॉन टिम्बर”

[(सं०सं० बिक्री-कर/विविध-119/2014-1751)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

21 अप्रील 2015

एस०ओ० 67, एस०ओ० 66, दिनांक 28 अप्रील 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/विविध-119/2014-1752)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st April 2015

S.O. 66, dated the 28th April 2015— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), the

Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Part I of Schedule III appended to the said Act with immediate effect :-

Amendment

Serial No. 147 of Part I of schedule III appended to the said Act, 2005 shall be substituted as following :-

“147. Plywood, Blockboard and Flushdoor including log, plank, veneer, beam and sawn timber required for their manufacture.”

[(F.No. Bikri kar/vividh-119/2014-1751)]

By order of the Governor of Bihar,

RAVI MITAL,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 521-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>